स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन

1982. श्री अबीद शीगो :
कुमारी आलिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के लिए जुलाई, 1991 तक विभिन्न राज्यों से राज्य-वार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) राज्य-वार कितने आवेदन-पत्रों का निपटान किया गया है और कितने आवेदन पत्र अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ग) लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्रता से निपटान किए जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है;

(ङ) क्या सरकार को किसी राज्य से किसी ऐसे मामले की जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें जाली स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दी गई हो; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. जेवड) : (क) से (च) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

प्रश्न के भाग (क) और (ख) के संबंध में एक सारणीबद्ध अनुबंध संलग्न हैं।

प्रश्न के भाग (ग) के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि निपटान हेतु वे आवेदन लम्बित पड़े हैं, जो आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि, अर्थात 31.3.1982 के बाद प्राप्त हुए हैं। विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदनों को, यदि उनके साथ भोगी गई यातनाओं के लिए किए गए दावों के समर्थन में सरकारी अभिलेखों से दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न न हो तो तत्काल रद्द कर दिया जाता है। लम्बित पड़े आवेदनों को निपटाने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

प्रश्न के भाग (घ) में यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1988–89, 1989–90 और 1990–91 के लिए स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए क्रमशः 65 करोड़ रुपए, 115.56 करोड़ और 117 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी गयी।

प्रश्न के भाग (ङ) और (च) के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जाली दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले झूठे व्यक्तियों के कुछ मामलों के बारे में सरकार को सूचना प्राप्त हुई है। ऐसे मामलों की राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा जांच-पड़ताल कराई जाती है। जांच-पड़ताल के बाद यदि आवेदक को असली व्यक्ति नहीं पाया जाता, और अथवा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं पाया जाता, तो पेंशन रद्द कर दी जाती है।

अनुबन्ध

31.7.1991 तक प्राप्त किए गए निपटाए गए तथा लम्बित पड़े आवेदन

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्राप्त हुए आवेदनों की सं.	निपटाए गए आवेदनों की सं.	लम्बित पड़े आवेदनों की सं.
1	2	3	4	5
1.	असम	26,886	26,813	73
2.	आन्ध्रप्रदेश	39,133	33,525	5,608
3.	बिहार	1,15,171	1,14,748	423
4.	गुजरात	6,838	6,720	118
5.	गोवा	3,357	3,346	11
6.	हरियाणा	6,287	6,242	45
7.	हिमाचल प्रदेश	4,179	4,129	50
8.	जम्मू और कश्मीर	10,735	10,708	27
9.	कर्नाटक	20,448	18,783	1,665
10.	केरल	52,470	52,412	58
11.	मध्य प्रदेश	4,747	4,747	शून्य
12.	महाराष्ट्र	39,748	39,017	731
13.	मनीपुर	688	688	शून्य
14.	मेघालय	159	159	शून्य
15.	मिजोरम	8	8	शून्य
16.	नागालैण्ड	22	22	शून्य
17.	उड़ीसा	15,936	15,878	58
18.	पंजाब	29,764	29,722	42
19.	राजस्थान	5,097	5,062	35
20.	तमिलनाडु	22,521	22,426	95
21.	त्रिपुरा	3,463	3,446	17
22.	उत्तर प्रदेश	40,181	40,075	106
23.	पश्चिम बंगाल	79,135	79,108	27
24.	चण्डीगढ़	152	141	11
25.	दिल्ली	5,321	5,272	49
26.	पांडिचेरी	1,918	1,901	17
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	98	91	7
28.	अरूणाचल प्रदेश	41	41	शून्य
	जोड़ :	5,34,503	5,25,230	9,273